रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED No. D.

केन्द्रीय सचिवालय ग्रन्थागार
CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY
GOVT. OF INDIA
21 ... 5/11/90

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 31] नई दिल्ली, शुक्रवार अक्तूबर, 27 1989/कार्तिक 5, 1911
No. 31] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 27, 1989/KARTIKA 5, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 1989

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (कर्मचारी भविष्य निधि) (संशोधन) विनियम, 1988

एन० आर० ओ० सं० 1092/आर० पी० डी०.—भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 (1964 का 18) की धारा 37 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बोर्ड केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति से भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (कर्मचारी भविष्य निधि) विनियम, 1981 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

1. इन विनियमों को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (कर्मचारी भविष्य निधि) (संशोधन) विनियम 1988 कहा जाएगा।

2. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (कर्मचारी भविष्य निधि) विनियम 1981 में

(क) विनियम 18 में, अन्त में, निम्नलिखित प्रावधान जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"यह और कि ऊपर उल्लेख छह माह की अवधि समाप्त होने पर भी विकास बैंक, पूर्णत अपने विवेक-निर्णय अनुसार तथा ऐसा करने के लिए किसी भी भांति बाध्य न होते हुए, निधि की बहियों में अभिदाता के खाते में जमा पर एक वर्ष से अनधिक अतिरिक्त अवधि के लिए ब्याज जमा कर सकता है, यदि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक इस बात से सन्तुष्ट है कि अभिदाता अथवा उसके नामित अथवा नामितियों अथवा कानूनी प्रतिनिधियों, जैसा भी मामला हो, को ऐसी राशियों की अदायगी के न होने का कारण अभिदाता अथवा उसके नामित अथवा नामितियों अथवा कानूनी प्रतिनिधियों जैसा भी मामला हो, की चूक अथवा भूल नहीं है।"

3. यह संशोधन, अक्तूबर, 7, 1988 से, प्रभावी होगा तथा सर्वदा प्रभावी हुआ माना जाएगा।

आर., जगन्नाथन, कार्यपालक निदेशक

प्रमाणित किया जाता है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (कर्मचारी भविष्य निधि) विनियम, 1981 में उक्त संशोधनों को भारत सरकार ने अपने पत्र एफ सं. 11/6/86/वा ई आर. दिनांक 9-8-1988 द्वारा अनुमोदन प्रदान किया है।

जी.एम. राममूर्ति, प्रबन्धक (विधि)

INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th October, 1989

Industrial Development Bank of India (Employees' Provident Fund) (Amendment) Regulations, 1988

N.R.O. No. 1092/RPD.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 37 of the Industrial Development Bank of India Act, 1964 (18 of 1964), the Board with the previous approval of the Central Government, makes the following amendments to the Industrial Development Bank of India (Employees' Provident Fund) Regulations, 1981, namely :—

1. These Regulations may be called the Industrial Development Bank of India (Employees' Provident Fund) Amendment Regulations 1988.

2. In the Industrial Development Bank of India (Employees' Provident Fund) Regulations, 1981,

(i) In Regulation 18, the following proviso shall be added at the end namely :—

"Provided further that even after the expiry of the period of six months referred to above, the Development Bank may, in its absolute discretion and without being under any obligation so to do, allow interest on the sums standing in the books of the Fund to the credit of a subscriber, for a further period not exceeding one year, if the Development Bank is satisfied that the non-payment of such sums to the subscriber or his nominee or nominees, or legal representatives, as the case may be, is not due to any default or lapse on the part of the subscriber, or his nominee or nominees or legal representatives, as the case may be."

3. This amendment shall be effective and shall always be deemed to be effective from October 7, 1988.

R. JAGANNATHAN, Executive Director.

Certified that Government of India have given approval to the above amendment to the Industrial Development Bank of India (Employees' Provident Fund) Regulations, 1981, vide their letter F. No. 11|6|86|IR dated 9-8-1988.

G. M. RAMAMURTHY, Manager (Legal)

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1989